—1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135
E.Mail-eepwdbhatwari @rediffmail.com Fax No-01374-244321

पत्रांक 801/20 स्टे0 दिनांक 10/ 05/2021

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में बोंगा से कियाण गॉव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.350 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में (FP/UK/Road/18147/2016).

सन्दर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 13 / 20127 / एफ0सी0 / 1593 दि0 21 / 10 / 2020।

महोदय,

विषयक मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। स्वीकृति की शर्तानुसार विभिन्न धनराशि जमा करने व विभिन्न शर्तो का अनुपालन करने के उपरान्त अनुपालन आख्या निम्न लिखित है :–

SN.	Conditions	Compliances
1-	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेग।
3-	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.830 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम बौन सिविल खसरा नं0 1936 (2.106 है0) एवं ग्राम पंजियाला सिविल खसरा नं0 4723(0.724 है0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयेक्ता एजेन्सी द्वारा 2.700 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम बौन सिविल खसरा नं0 1936 रकबा 2.106 है0 एवं ग्राम पंजियाला सिविल खसरा नं0 4723 म0 रकबा 0.724 है0 भूमि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 910397.00 धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता सं0–150896118147416 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते मे जमा कर दी गयी है। (जमा चालान की छाया प्रति संलग्न)।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्ताओं में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। (खतोनी की नकल संलग्न है)।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(ग) पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4-	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–** (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202 / 1995 में IA 556 दि0 30.10.2020, 01.08.2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रांलय द्वारा पत्रांक–5–1 / 1998–एफ0सी0 (pt. 2) दि0 18.09. 2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दि0 3.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05. 02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसव के तहत 1.350 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.350 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत 1140750.00 धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता सं0–150896118147416 कारपोरेशन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली के खाते मे जमा कर दी गयी है। (जमा चालान की छाया प्रति संलग्न)।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त,अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि सलग्न कर प्रेषित है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 684 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	पार्श्व शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) द्वारा चालान तैयार कर रू 2051147.00 की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के खाता संख्या 150896118147416 कॉरपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
7	The Provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be complied with strictly by the State Govt. and User Agency.	पार्श्व शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भागीरथी ईको सैन्सटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान की शर्तो का अनुपालन करते हुये निर्माण कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
8	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of workbefore stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one Year from the date of issue of such permisson.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन हेतु एफ0 आर0 ए0 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)-संलग्न कर प्रेषित है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रज्यीय वन विभाग अथवा अन्य विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लगात पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को वन भूमि के सीमांकन हेतु रू 239000.00 की धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट इस कार्यालय के पत्रांक 146/1ए0, दिनांक 16/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
17	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी" परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेंगे कि वह अन्य यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वरा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरका/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुपालन में अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :–

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून। (ई–मेल द्वारा)
2:– जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
3:– अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।
4:– वन संरक्षक,भागीरथी वृत्त,मुनि की रेति,ऋशिकेष। (ई–मेल द्वारा)
5:– सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,भटवाड़ी।

10/5/2021

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी।